

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 67/2026

हेम नाथ सरोज एवं 4 अन्य

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
लखनऊ एवं 4 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – विनोद कुमार सिंह, साधना यादव

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, अशोक कुमार वर्मा

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद कुमार सिंह, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार वर्मा और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण के संबंध में, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियमावली, 2000 के नियम 2(ग) में परिभाषित प्राधिकारी ही जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत निर्मित उक्त नियमावली, 2000 के अनुसार कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। उन्होंने हमारे समक्ष उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा उक्त नियमावली, 2000 के अंतर्गत जारी दिनांक 11.01.2018 और 25.01.2018 की अधिसूचनाएँ प्रस्तुत कीं, जिनकी प्रति याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता को प्रदान की गई है। याचिकाकर्ता अपनी शिकायत के निवारण के लिए संबंधित प्राधिकारी से संपर्क करें। यदि नियमों के अनुसार कोई आवेदन दाखिल किया जाता है, तो उस पर विचार किया जाएगा और उपर्युक्त प्राधिकारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. उपरोक्त टिप्पणियों/निर्देशों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

2 फरवरी, 2026

पीयूष

Translated version. Not for legal use.